

प्राधिकृत होने से

दिनांक 14.11.14 को पेश हो।

भाषा है

14.11.14

पत्रावली पत्र हुई / पीठासीन अधिकारी

प्राधिकृत होने से

दिनांक 14.12.14 को पेश हो।

भाषा है

19.12.14

पत्रावली प्रस्तुत / तहसीलदार की दफ्तर से किया गया प्रस्ताव प्राप्त / पुन लिख्या जाकर पत्रावली दिनांक 20.2.15 को पेश हो।

20/2/15

पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी

राजस्व कार्य में व्यस्त होने से, विभाजन प्रस्ताव प्राप्त शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 20/3/15 को पेश हो।

भाषा है

20/3/15

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी जलपुनवर्ष में होने से प्रकरण दि. 1.7/4/15 को पेश हो।

17/4/15

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी जनसुनवाई में होने से प्रकरण दि. 2.3/5/15 को पेश हो।

22/5/15

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने पत्रावली को लोक अदालत में स्केफ करने के लिये आवेदन किया। विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी होकर दिनांक 20/6/15 को पेश हो।

20.6.15

पत्रावली भाग राजस्व लोड्डे महाकुलाय उद्योग को आम्रियान सु. साक्ष्य पर पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त, जिसे पर लक्ष्य आया कि सुमा गया। उस द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्ताव से सहायता है। भाग किया गया प्रस्ताव प्रस्ताव रही है। विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी होकर दिनांक 20/6/15 को पेश हो।

